न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **212/2024** दायर दिनाँक **26.12.2024**

वादीगण		**प्रतिवादी**
1. मुनीर खां पुत्र सांवत खां जाति कायमखानी निवासी बेरी खुर्द तहसील मौलासर जिला डीडवाना–कुचामन।	**बनाम्**	1. तहसीलदार मौलासर

राजस्व–वाद बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र खिलेरी एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **19.08.2025**

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम दीनदारपुरा पटवार हल्का दीनदारपुरा में खसरा संख्या 619 रकबा 2.5600 हैक्टेयर, खसरा संख्या 621 रकबा 0.3100 खसरा संख्या 623 रकबा 1.4000, खसरा संख्या 625 रकबा 3.0700, खसरा संख्या 715 रकबा 3.8200 हैक्टेयर की भूमि वादी की संयुक्त खातेदारी की अवस्थित है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि में राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों की भूल व सहवन से राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता की फौतगी के पश्चात् वादी का नाम मुनीर खां पुत्र सावंत खां के स्थान पर शफी मोहम्मद पुत्र सांवत खां व मोहम्मद शफी खां पुत्र सांवत खां दर्ज कर दिया जबकि वादी के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र आदि में वादी का नाम मुनीर खां पुत्र सांवत खां अंकित है जो सही व सत्य है।

वादीगण की प्रार्थना इस प्रकार है:–

डिक्री बाबत रेकर्ड दुरूस्ती बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की फरमायी जावें कि राजस्व ग्राम दीनदारपुरा पटवार हल्का दीनदारपुरा में खसरा संख्या 619 रकबा 2.5600 हैक्टेयर, खसरा संख्या 621 रकबा 0.3100 खसरा संख्या 623 रकबा 1.4000, खसरा संख्या 625 रकबा 3.0700, खसरा संख्या 715 रकबा 3.8200 हैक्टेयर में वादी का नाम शफी मोहम्मद पुत्र सांवत खां व मोहम्मद शफी खां पुत्र सांवत खां के स्थान पर मुनीर खां पुत्र सांवत खां राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अलम दरामद किया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मौलासर के पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/871 दिनांक 10.07.2025 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वाद में दर्ज खसरा नम्बर की भूमि वादी मोहम्मद शफी व सफी मोहम्मद पि. सांवत खां कौम कायमखानी सा. बेरी खुर्द के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादी के नाम उक्त भूमि जिसके पुर्व खसरा नम्बर 430, 382, 289, है जो खातेदारी नामान्तकरण संख्या 25/10.06.72 व नामान्तकरण संख्या 424/5.11.2009 (विरासत) [illegible] दीनदारपुरा से आई है जो सफी मोहम्मद व मोहम्मद सफी पि. [illegible] दर्ज है। जमाबंदी ग्राम दीनदारपुरा में वादी [illegible] मोहम्मद सफी पि. सांवतखां दर्ज है परन्तु वक्त [illegible] मौका तैयार करने [illegible] पेश किये [illegible] दस्तावेज यथा आधार कार्ड फोटो [illegible] पत्र में मुनीर [illegible] पुत्र सांवत खां दर्ज है। फर्द मौका बनाने वक्त सफी मोहम्मद व मोहम्मद [illegible] पि. सांवत खां

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:21:10 IST
Reason: SelfAttested

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

जो नाम गलत दर्ज होना बताया है। सही नाम मुनिर खां पि. सांवत खां होना बताया है। यह तीनों नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया है।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। वादी सरहद राजस्व ग्राम दीनदारपुरा पटवार हल्का दीनदारपुरा में खसरा संख्या 619 रकबा 2.5600 हैक्टेयर, खसरा संख्या 621 रकबा 0.3100 खसरा संख्या 623 रकबा 1.4000, खसरा संख्या 625 रकबा 3.0700, खसरा संख्या 715 रकबा 3.8200 हैक्टेयर में वादी का नाम शफी मोहम्मद पुत्र सांवत खां व मोहम्मद शफी खां पुत्र सांवत खां के स्थान पर मुनीर खां पुत्र सांवत खां राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। तहसीलदार मौलासर की रिपोर्ट के अनुसार वादी का उक्त नाम विरासत के नामान्तकरण से दर्ज किया गया है। जिसके कारण वादी के सही अंकन होने के कथन को स्वीकार किया जा सकता है। अतः बाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

सरहद राजस्व ग्राम दीनदारपुरा पटवार हल्का दीनदारपुरा में खसरा संख्या 619 रकबा 2.5600 हैक्टेयर, खसरा संख्या 621 रकबा 0.3100 खसरा संख्या 623 रकबा 1.4000, खसरा संख्या 625 रकबा 3.0700, खसरा संख्या 715 रकबा 3.8200 हैक्टेयर में वादी का नाम शफी मोहम्मद पुत्र सांवत खां व मोहम्मद शफी खां पुत्र सांवत खां के स्थान पर मुनीर खां पुत्र सांवत खां दुरूस्ती बाबत वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है। तदनुसार रेकर्ड दुरूस्त हो।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 19.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:21:10 IST
Reason: SelfAttested

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना